

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ३१/४१० /

जबलपुर, दिनांक ०५/०५/२०२४

दो-१३-१५/२४

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक १६१/४/३१/८२/नि-१/४, दिनांक ३१.१.१९८३ एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-६-१/२०१२/नियम/चार भोपाल, दिनांक ०८ मार्च २०१९ में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्रीमति फूलमती बाई केवट, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक ०८/०३/२०२४ को हो जाने के फलस्परूप उनके अवकाश लेखे में शेष १५३ दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त धनराशि का भुगतान श्री रवि केवट माता स्व. श्रीमति फूलवती केवट, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय
के आदेशानुसार

३५४
(संजय कुमार सिंह)
५ रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. ३१/४११ /

जबलपुर, दिनांक ०५/०५/२०२४

दो-१३-१५/२४

प्रतिलिपि :-

- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
- असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- श्री रवि केवट माता स्व. श्रीमति फूलवती केवट, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर मो. नं. ७०८९२२७६२४ पता— मकान नं. १२३२, लालमाटी चांदमारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

३५८
(संजय कुमार सिंह)
५ रजिस्ट्रार (प्रशा.)